बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 25.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी / विदेशी शराब के विरूद्व, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 18,684 लीटर अवैध शराब एवं मुंगेर जिला में 1 मैग्जीन, 2 बेरा मशीन तथा 1 ड्रिल मशीन जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त खगड़िया के गोगरी में मिनी गन फैक्ट्री तथा अलौली में देशी शराब बनाने की भट्ठी का उद्भेदन किया गया है।

   मधुबनी जिला में ₹2,00,000/–, सुपौल जिला में ₹55,000/–, वैशाली जिला में ₹1,36,600/–, मुंगेर जिला में ₹55,900/–, भोजपुर जिला में ₹2,39,050/–, औरंगाबाद जिला में ₹4,05,000/– तथा नवादा जिला में ₹1,00,000/– जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

   आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा कोलकाता में 46 करोड़ रूपये जब्त किया गया है। अभी तक के अनुसंधान के अनुसार यह राशि Mr. Santiago Martin नाम के दक्षिण भारतीय व्यक्ति की है जिनका लॉट्री का व्यवसाय है। इसके अतिरिक्त नागराजन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा कोलकाता में उक्त व्यवसायी के मामलों को देखा जाता था। आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह राशि दुबई भेजी जाने वाली थी।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :–

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	12
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	3
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	6
Illegal Meeting/Speech etc.	1

3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :–

No. of Arms/Weapons seized	9
No. of Explosives seized	2
No. of cartridges seized	27
No. of Bombs seized	5
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	2
No. of Licensed Arms verified	169
No. of Licensed Arms deposited	595
No. of Licensed Arms Cancelled	9
No. of non-bailable warrants executed	695
Fine collected in vehicle checking	Rs. 13,06,509

4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभाकक्ष में आज दिनांक 25.09.2015 को बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 के अवसर पर राजनैतिक दलों द्वारा आकाशवाणी पर प्रचार–प्रसार कार्यक्रम के समय निर्धारण हेतु एक बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं आकाशवाणी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में लॉट्री सिस्टम द्वारा प्रचार–प्रसार कार्यक्रम हेतु तिथिवार समय का निर्धारण किया गया। दूरदर्शन पर प्रचार–प्रसार कार्यक्रम हेतु समय एवं तिथि के निर्धारण के लिए कल पुनः एक बैठक आयोजित की जायेगी।

5. श्री अरविन्द कुमार चौधरी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा प्रथम चरण वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी निर्वाची पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के तैयारियों की समीक्षा की गयी। इस बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्देशों से अवगत कराते हुए उसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

****